

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 203 / 13

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 203 / 13
संस्थापन दिनांक-30 / 8 / 13

मनोज पुत्र ग्यादीन शर्मा, 38 साल
निवासी ग्राम वीलपुरा परगना गोहद
हाल निवासी मुरार ग्वालियर -----पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक
वि रु द्ध

1. श्रीमती अंगूरीदेवी वेवा पत्नी ग्यादीन शर्मा,
उम्र-68 साल

2. रामौतार पुत्र ग्यादीन शर्मा, 32 साल,
निवासीगण ग्राम बीलपुरा परगना गोहद

-----प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदकगण

न्यायालय-केशव सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के प्रकरण क्रमांक-46 / 2010 मु.फौ. श्रीमती अंगूरीदेवी
बनाम मनोज आदि में पारित आदेश दिनांक 22 / 7 / 2013 से उत्पन्न
दाण्डिक पुनरीक्षण

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 06 जून 2014 को पारित किया गया)

01. श्री केशव सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहद जिला भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-46 / 2010 मु.फौ. श्रीमती अंगूरीदेवी वि० मनोज में पारित आदेश दिनांक 22 / 7 / 2013 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है । जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 125 द0प्र0सं० को स्वीकार करते हुए पांच पांच सौ रुपये मासिक भरण पोषण का आदेश किया गया है, जिसे अपास्त किए जाने हेतु यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गयी है ।

02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक-2 आपस में सगे भाई होकर प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक-01 श्रीमती अंगूरीदेवी के पुत्र हैं एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण एक साथ निवास करते हैं ।

03. पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है :- कि आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत करके बताया कि

उसके दो पुत्र अनावेदकगण हैं । अनावेदक मनोज पी.एच.ई. विभाग गोहद में है, अनावेदक क्रमांक-2 रामौतार गांव में रहता है । अनावेदकगण के नाम से 5-6 बीघा कृषि भूमि गांव में स्थित है, आवेदिका के पास भरण पोषण का कोई साधन नहीं है । दिनांक-5/5/10 को अनावेदकगण द्वारा भरण पोषण से इंकार करघर से निकालने की धौंस दी गयी, तब उसके द्वारा यह आवेदनपत्र पेश किया । जिसे स्वीकार करते हुए आवेदिका को प्रत्येक अनावेदकगण से प्रत्येक माह पांच पांच सौ रुपये भरण पोषण की राशि अदा करने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी की गयी है, जिसके आधार प्रकट करते हुए बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन सही ढंग से किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है । आवेदिका के पति खत्म हो गये हैं, और उसे बीमा की राशि मिली थी, आवेदिका को उसके हिस्से की कृषि भूमि से पर्याप्त आय होती है वह पशु पालन कर दूध विक्रय कर भी आय प्राप्त करती है । आवेदिका के पास पर्याप्त साधन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्य की भूल की गयी है ।

04. आवेदिका एवं अनावेदक क्रमांक-2 के मध्य दुरभि संधि है, जिसे अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया, पुनरीक्षणकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त करते हुए पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाने का निवेदन किया ।

05— प्रकरण में प्रत्यर्थी/प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण एक पक्षीय है ।

06. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं । जबकि उत्तरवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है ।

07— प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है:-

08. विचारणीय यह है कि— “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22/7/2013 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

09. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया, पुनरीक्षण कर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया । आलोच्य

आदेश का अध्ययन किया । विद्वान जेएमएफसी गोहद द्वारा पुनरीक्षणकर्ता मनोज एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्र.-2 रामौतार को अपनी मां प्रतिपुनरीक्षणक्रमांक-1 श्रीमती अंगूरीदेवी को पांच पांच सौ रुपये मासिक भरण पोषण आदेश दिनांक से दिये जाने हेतु आदेशित किया है । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मूलतः यह तर्क है कि मां अंगूरीदेवी रामौतार के साथ रहती है एवं पुष्टैनी भूमि का बंटवारा हो चुका है और तीनों को बराबर करीब पांच पांच बीघा भूमि प्राप्त । मां अंगूरीदेवी के पास भी स्वयं के भरण पोषण हेतु कृषि भूमि है जो वह रामौतार को दिये हैं और रामौतार से भरण पोषण नहीं लिया जा रहा है केवल रामौतार के कहने से मां अंगूरीदेवी ने यह कार्यवाही उसे परेशान करने के लिए की है । उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में न्याय दृष्टांत **श्रीमती कुंठीबाई विरुद्ध अलखाराम 1999 भाग 1 सीसीआरजे -68 (एम0पी0)** पेश किया है ।

10. उक्त न्याय दृष्टांत का अध्ययन किया गया । न्याय दृष्टांत के मामले में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा भरण पोषण के आवेदन की नामंजूरी के संबंध में यह प्रतिपादित किया है कि यद्यपि भरण पोषण करने के लिए आवेदन की कोई समय सीमा लेख नहीं है फिर भी मजिस्ट्रेट विवेकिक शक्ति में भरण पोषण मंजूर करने से इंकार कर सकता है । न्याय दृष्टांत के मामले में पति पत्नी के मध्य का विवाद था और उनके विवाह को तीस वर्ष हो गये थे तथा आवेदिका 12 वर्षों से अलग रहकर अपना गुजारा कर रही थी । इस आधार पर उक्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, वर्तमान मामले में मां और पुत्रों के बीच भरण पोषण का विवाद है ऐसे में उक्त न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है ।

11. जहां तक कृषि भूमि होने का प्रश्न है । कृषि भूमि मनोज, अंगूरीबाई, रामौतार सभी को हिस्से में प्राप्त होना प्रदर्श डी.-1 से परिलक्षित होता है । किन्तु कृषि भूमि से आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है । पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक ओर मां अंगूरीदेवी का दूसरे भाई रामौतार के साथ रहना और उसी को अपनी जमीन दे देना कहा गया है । ऐसे में कृषि भूमि से आय का बिन्दु गौड हो जाता है तथा स्वयं अंगूरीदेवी अ.सा.-1 ने पैरा-3 में यह बात प्रकट की है कि उसकी न तो कोई दुकान है, न उसके पास कोई मवेशी हैं और रामौतार के साथ वह रहती है वही उसे खाना देता है । लेकिन खाने के अलावा भी मूलभूत आवश्यकताओं में स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक वस्तुएं कपड़े

इत्यादि भी आते हैं । ऐसे में पुत्रगण अपनी वृद्ध एवं वेवा मां के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकते हैं और पुत्रों का यह परम कर्त्तव्य भी है कि वे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें । ऐसे में जिन आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है वे आधार सुदृण नहीं माने जा सकते हैं ।

12. स्वयं पुनरीक्षणकर्ता मनोज अनावेदक साक्षी क्र.-1 ने स्वयं का पी.एच.ई0 विभाग में शासकीय सेवक होना स्वीकार किया है । उसके पास भी कृषि भूमि है हालांकि उसपर अपनी पत्नी व संतान के भरण पोषण का भी दायित्व है । मां अंगूरीदेवी के स्व सहायता समूह में काम करने के बावत कोई सुदृण प्रमाण नहीं हैं । जहां तक अंगूरीदेवी को अपने स्वर्गीय पति के सेवाकाल संबंधी जो हितलाभ जी0पी0एफ0 आदि प्राप्त हुए हैं । उनके आधार पर भी भरण पोषण के कर्त्तव्य से पुत्रों को भारमुक्त नहीं किया जा सकता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पुत्रों को पांच पांच सौ रुपये भरण पोषण मासिक रूप से आदेश दिनांक से दिलाया गया है जिसे कतई अनुचित या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है तथा आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं पायी जाती है । यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में विचारण न्यायालय ने अंतरिम भरण पोषण एक एक हजार रुपये मासिक दिनांक-6/1/11 के आदेशानुसार स्वीकृत किया गया था जिसके विरुद्ध भी पुनरीक्षणकर्ता ने पूर्व में पुनरीक्षण याचिका क्रमांक-23/12 अपर सत्र न्यायालय गौहद में पेश की गयी थी जो दिनांक 22/2/11 के आदेशानुसार निरस्त की गयी थी ।

13. इस तरह से प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों एवं विधिक दृष्टि से विद्वान जे.एम.एफ.सी. का आलोच्य आदेश दिनांक-22/7/13 में कोई अवैधानिकता, अनियमितता या औचित्यहीनता नहीं पायी जाती है । फलतः वाद विचार प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षण याचिका सारहीन मानते हुए निरस्त सव्यय करते हुए आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है ।

दिनांक 06/06/2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)